TENDER NOTICE

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (CRGB) में प्रति माह प्रति ग्रामीण शाखा 1 वित्तीय समावेशन कैंप का आयोजन किया जाना है | इन कैंप में बैंक के विभिन्न योजनाओं के बारे में निम्न जानकारी दी जाती है |
* डिजिटल पेमेंट/ कैशलेस पेमेंट का उपयोग
* SHGखाता
* KCCयोजना की विशेषता
* RecoveryRecovery
* आधार लिंकिंग
* बैंक खाता का फायदा, सायबर क्राइम सुरक्षा एवं उपाय
1. कार्यक्रम आयोजन के लिए निम्न नियम एवं शर्तें लागु है :
2. संस्था को एक कार्यक्रम का डेमो बैंक को देना होगा |
3. आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में संबंधित शाखा प्रबंधक से समय पूर्व कम से कम ३ दिन पूर्व समन्वय स्थापित कर ग्राम/ या आयोजन स्थल का चयन एवं कार्यक्रम का निर्धारण संस्था द्वारा किया जावेगा I कार्यक्रम का प्रदर्शन नृत्य/ नाटक/ गीत/ नुक्कड़/ प्रहसन/ Digital Mode आदि द्वारा किया जावेगा |
4. कार्यक्रम के दौरान अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता हो एवं सभी दर्शक बालिग होना चाहिए I कार्यक्रम में दर्शक संख्या अधिकांश हो एवं 50 से कम नहीं होना चाहिए |
5. कार्यक्रम के दौरान टेन्ट/ साउंड सिस्टम आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी | इसके लिए शाखा द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा |
6. बैंक द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम समापन/ उपस्थिति पत्रक पर संबंधित शाखा प्रबंधक या उपस्थित बैंक अधिकारी से प्रमाणित करवाकर कार्यक्रम के 3-4 फोटोग्राफ के साथ बिल संबंधित शाखा कार्यालय में संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा I
7. आयोजित कार्यक्रम में एक बैनर (प्रारूप संलग्न) अवश्य लगा होना चाहिए जिसमे बैंक का नाम (लोगो सहित), क्षेत्रीय कार्यालय एवं संबंधित शाखा का नाम प्रदर्शित हो एवं कार्यक्रम आयोजन स्थल, दिनांक एवं “नाबार्ड द्वारा ‘वित्तीय समावेशन निधि’ के तहत् सहायता प्राप्त” भी प्रदर्शित हो I प्रस्तुत किये जाने वाले 3-4 फोटोग्राफ में उक्त बैनर का प्रदर्शन अनिवार्य है, अन्यथा उस शाखा में आयोजित कार्यक्रम की मान्यता नहीं होगी I
8. तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण कम से कम एक सप्ताह पूर्व किया जाना चाहिए ताकि उन कार्यक्रमों में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी/ नाबार्ड अधिकारी/ लीड बैंक अधिकारी/ जिला पंचायत अधिकारी आदि को उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया जा सके I
9. आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या, प्रति कार्यक्रम अधिकतम व्यय की अनुमत सीमा, कुल व्यय की स्वीकृत राशि **(INCLUDING GST)** का विवरण निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SL No** | **District** | **Unit Rate/ Per Camp (inclusive of all expenses/ taxes/ GST)** | **Number of Rural Branches (list attached)**  | **No of Camps to be Organised** | **Total Cost of the Camps (inclusive of all expenses)** |
| 1 | Special Focused District (SFD) – 15\* | Rs. 6000/- | 219 | 219 X 4 = 876 (One camp per month per Rural Branch) | 52,56,000/- |
| 2  | Other District - 12 | Rs. 5000/- | 271 | 271 X 4 = 1084 (One camp per month per Rural Branch) | 54,20,000/- |
|  | **TOTAL** | **1,06,76,000/-** |

NOTE :

1. Maximum support for conduct of Financial & Digital Literacy Programme in SFDs is Rs. 6,000/- or 90% of the actual expenditure incurred, whichever is lower.
2. Maximum support for conduct of Financial & Digital Literacy Programme in districts other than SFD is Rs. 5,000/- or 60% of the actual expenditure incurred, whichever is lower.
3. बिल भुगतान की राशि वास्तविक बिल के अनुसार उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी |

**\* Special Focused Districts are as follows**:-

1) BALARAMPUR 2) BALOD 3) BASTAR 4) BIJAPUR

5) DANTEWADA 6) DHAMTARI 7) GARIYABAND 8) KANKER

9) KAWARDHA 10) KONDAGAON 11) KORBA 12) MAHASAMUND

13) NARAYANPUR 14) RAJNANDGAON 15) SUKMA

1. उक्त तालिका अनुसार प्रति ग्रामीण शाखा में प्रति माह एक कार्यक्रम किया जाना है, एवं ये आयोजन माह दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 के मध्य किया जाना है I
2. आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी बिन्दुओं (संलग्न है) का समावेश किया जाना आवश्यक है I
3. संस्था द्वारा प्रस्तुत देयक का निपटान उक्त नियमों/ शर्तों के अधीन किया जावेगा I
4. संस्था को आबंटित शाखाओं में से बिना कारण बताये शेष कार्यक्रम को निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा I
5. कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए समय समय पर केंद्र शासन/ राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा | साथ ही बैंक कार्यक्रम में बदलाव/ निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा |
6. इच्छुक संस्था अपने समस्त विवरण के साथ TENDER एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें |
* GST No.
* FIRM PAN Card.
* AADHAAR Card.
* Former experience in the field.
* NGO Registration Certificate.
1. संस्था अपना खर्च का breakब्रेकअप निम्नानुसार देवे :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. | विवरण  | राशि  |
| 1  | टेन्ट, साउंड सिस्टम  |  |
| 2  | टेबल, कुर्सी, स्टेज  |  |
| 3 | बैनर, पोस्टर  |  |
| 4 | मानदेय  |  |
| 5  | अन्य खर्च  |  |